उत्तराखण्ड शासन
लघु सिंचाई विभाग

संख्या-376/ II-2009-01(15)/2006
देहरादून: दिनांक 12 मार्च 2009

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय पर विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल महोदय ' उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा ' में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

## उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग, बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा

## नियमावली, 2009

### भाग 1-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा नियमावली , 2009 कहलाएगी।
(2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

सेवा की प्रास्थिति –

2. उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा अराजपत्रित सेवा है- जिसमें समूह-"ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाए-

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-
(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से लघु सिंचाई विभाग के सम्बन्धित खण्ड का अधिशासी अभियन्ता अभिप्रेत है,
(ख) 'मुख्य अभियन्ता' से मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है,
(ग) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है , जो 'भारत का संविधान' के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है,
(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है,
(ङ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है,
(च) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है,
(छ) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,
(ज) 'सेवा' से उत्तराखण्ड लघु सिंचाई विभाग, बोरिंग प्रविधिज्ञ सेवा अभिप्रेत है,
(झ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो तथा

(ट) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है,

(ठ) "छंटनीशुदा कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है–

(एक) जिसने राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी रूप में, मौलिक रूप में, कम से कम एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये निरन्तर सेवा की हो,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अवमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अंतर्गत तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं होगा।

## भाग–दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग–

4. (1) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो इस नियमावली के नियम 24 (2) में दी गयी है।

परन्तु उपबन्ध यह है कि;

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को विना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

## भाग तीन–भर्ती

**भर्ती का स्रोत–**

5. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(क) बोरिंग प्रविधिज्ञ–(1) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञ के रूप में कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा,

(ख) सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञ– सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण–

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

## भाग चार– अर्हताएं

राष्ट्रीयता–

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो,

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं–

8. सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञ के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश से हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, एवं

(दो) निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवायोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया दो वर्ष के पाठ्यक्रम का डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है:–

(1) मशीन मिस्त्री (मशीनिस्ट)। (2) मिस्त्री ( फिटर )।

(3) मोटर प्रविधिज्ञ (मैकेनिक) (4) प्रविधिज्ञ (अंतर्दहन इंजन)।

(5) नलसाज (प्लम्बर)। (6) औजार साज (टूलमेकर)।

(7) तार मिस्त्री (वायरमैन)। (8) खरादी (टर्नर)

अधिमानी अर्हताएं

9. अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(एक) तकनीकी डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् कम से कम एक वर्ष का एप्रेन्टिस किया हो, या

(दो) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु–

10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जाय और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायं, 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र–

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति–

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो,

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता–

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति

के लिये अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है:

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

## भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण–

14. नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और सेवायोजन कार्यालय को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

15. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अधिशासी अभियन्ता के पद से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी, जो मुख्य अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। | अध्यक्ष |
| 2 | अधिशासी अभियन्ता, सह वैयक्तिक सहायक (अधिष्ठान) | सदस्य |
| 3 | मुख्य अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिशासी अभियन्ता | सदस्य |

उपरोक्त में यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई अधिकारी न हो तो उपरोक्त कमांक–3 पर ऐसे वर्ग के अधिशासी अभियन्ता अथवा एक स्तर निम्न के एक अधिकारी को मुख्य अभियन्ता द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) सेवा में सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यापक प्रसार वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में रिक्तियां विज्ञापित की जायेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायेंगे, जिनके नाम उत्तराखण्ड में स्थित किसी एक सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हों।

(3) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और ऐसे अभ्यर्थियों, जो अपेक्षित अर्हतायें पूर्ण करते हैं, को लिखित परीक्षा हेतु आमंत्रित करेगी।

(4) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions with Multiple Choice) की रखी जायेगी। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, औद्योगिक तकनीक के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक दिया जायेगा एवं प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। परीक्षा 02 घंटे की होगी। प्रश्नपत्र हाईस्कूल स्तर तथा सम्बन्धित व्यवसाय के स्तर के पूछे जायेंगे।

(5) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की 'प्रश्न बुकलेट' परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(6) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

(7) परीक्षा के पश्चात, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer key) को उत्तराखण्ड की बैबसाईट www.ua.nic.in या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन हो,प्रकाशित किया जायेगा।

(8) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता कम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों एवं अन्य मूल्यांकनों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होंगे। चयन समिति द्वारा सूची नियुक्ति अधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।

(9) मुख्य अभियन्ता, नियुक्ति करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को अपेक्षित संख्या में नाम भेजेगा।

(10) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों को उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर रखा जायेगा।

**फीस–**

16. चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समितिको ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक, सही उत्तरों का प्रदर्शन एवक प्रकाशन–**

17. जब चयन प्रकिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों का कुल योग व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड की बैबसाइट पर, जनपद के जिला कार्यालय और सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा, छंटनी शुदा कर्मचारी के अंकों को वर्गीकृत करते हुए) अधिकतम अंक के साथ अवरोही कम में (Descending Order) उत्तराखण्ड की वैवसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

**अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण–**

18. अभ्यर्थियों को ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय, भुगतान करने पर भाग पांच के अनुसार चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रकिया से सम्बन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करें तो उसे दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियाँ भी दी जायेगी।

पदोन्नति की प्रकिया–

19. (1) सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञ से बोरिंग प्रविधिज्ञ के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, नियम 15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता कम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) मे निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठताकम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

## भाग छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति–

20. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी कम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम के अधीन तैयार की गई सूचियों में हों।

(2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाते हैं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस कम में, यथास्थिति, जिस कम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाये, किया जायेगा।

परिवीक्षा–

21. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा की तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे।

परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा–अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ायी गई अवधि में किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं गया किया है या वह अन्यथा संतुष्टि प्रदान करने में असफल रहा

है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण—

22. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा—अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा—अवधि की समाप्ति पर उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 2002 के अंतर्गत स्थायी किया जा सकेगा यदि :—

(क) उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो,

(ख) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ग) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया गया हो,

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित है, तथा

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता—

23. (1) एतद्पश्चात की गयी व्यवस्था के अतिरिक्त किसी श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उनके नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है, तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की जाए।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध करणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। कारणों की वैधता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

## भाग सात— वेतन आदि

वेतनमान—

24. (1) सेवा में, विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय, चाहे नियुक्ति मौलिक अथवा स्थानापन्न अथवा अस्थायी उपाय के रूप में की गई हो।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय वेतनमान निम्नलिखित हैं :-

| पद का नाम | स्वीकृत पदों की संख्या | वेतन बैंड (रू0 में) | सादृश्य ग्रेड वेतन |
|---|---|---|---|
| सहायक बोरिंग प्रविधिज्ञ | 46 | 5200-20,200 | 1900 |
| बोरिंग प्रविधिज्ञ | 24 | 5200-20,200 | 2400 |

परिवीक्षा के दौरान वेतन

25. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहां विहित हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी।

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि संतुष्टि प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्य निदेश न दें, ऐसी बढ़ायी गयी अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेष न दें, ऐसी बढ़ायी गई अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्यतः सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

## भाग आठ– अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन–

26. किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी लिखित अथवा मौखिक संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन–

27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विर्निदिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से संबंधित सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण–

48

28. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यता पूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

व्यावृत्ति–

29. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।